आवश्यक / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

संख्या–1293 / 26–2–10–100(16) / 05

प्रेम नारायण,
प्रमुख सचिव एवं समाज कल्याण आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग:–2 लखनऊ: दिनांक: 26 अप्रैल, 2010

विषय– समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित (गैर सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण मुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित (गैर सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों / अध्यापिकाओं को इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राईमरी प्रभाग के शिक्षक / शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण मुक्ति दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1747 / 79–6–03–22(17) / 02, शिक्षा अनुभाग–6, दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 से प्रदत्त सुविधा उन्हीं शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

यह आदेश वित्त (वेतन–आयोग) अनुभाग–2के अशासकीय संख्या–वे0–आ02–379 / दस–2010 दिनांक 28मार्च 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
प्रमुख सचिव एवं
समाज कल्याण आयुक्त।

संख्या–1293 (1) / 26–2–2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त उपनिदेशक, समाज कल्याण / जिला समाज कल्याण अधिकारी।
4. समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त वेतन आयोग अनुभाग–1 / 2(तीन प्रतियों में)।
6. अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो।
7. गार्ड फाइल।

प्रमाणित
(पूर्णमासी दी.....)
अनुसेवक

आज्ञा से,

(नवनाथ)
विशेष सचिव।